



Neutral Citation No. - 2026:AHC:17890-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1823 सन् 1987

छतर सिंह और 3 अन्य

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : मयंक यादव, एस.एस. शर्मा, विवेक कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : ए.जी.ए.

और

1. आपराधिक अपील संख्या 1866 सन् 1987:

नरेश कुमार

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : प्रदीप कुमार राय, सिद्धार्थ शुक्ला, युधिष्ठिर यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : ए.जी.ए.

न्यायालय सं. - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय द्वारा प्रदत्त

1. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमल कृष्ण के सहायक विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार राय; राज्य की ओर से विद्वान एजीए-। श्री सुशील कुमार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

पांडे के तर्कों को सुना, विचारण न्यायालय के अभिलेख और विचारण न्यायालय के निर्णय एवं आदेश का परिशीलन किया।

2. ये अपीलें मथुरा के विशेष न्यायाधीश द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 47/1987 (राज्य बनाम नरेश कुमार और अन्य) में धारा 498-ए, 302/120-बी भा.दं.सं. के तहत पारित निर्णय और आदेश दिनांक 10.07.1987 के विरुद्ध दायर की गई हैं, जो मुकदमा अपराध संख्या 372/1986, थाना वृंदावन, जिला मथुरा से संबंधित है, इस निर्णय में अपीलकर्ताओं चित्तर सिंह, नानक चंद, दिनेश चंद और श्रीमती कस्तूरी देवी को धारा 498ए भा.दं.सं. के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है, और जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें तीन महीने के कठोर कारावास भुगतने होंगे। वहीं, नरेश कुमार को धारा 302 भा.दं.सं. के तहत अपराध करने के लिए आजीवन कारावास और धारा 498-ए भा.दं.सं. के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

3. इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान, आपराधिक अपील संख्या 1823/1987 में, अपीलकर्ता संख्या 2, 3 और 4, अर्थात् नानक चंद, दिनेश कुमार और श्रीमती कस्तूरी देवी का निधन हो गया। अतः उनकी ओर से दायर अपील को निरस्त कर दिया गया और अपील केवल अपीलकर्ता सं. 1 - छतर सिंह के लिए लंबित है तथा आपराधिक अपील संख्या 1866/1987 में एकमात्र अपीलकर्ता नरेश कुमार के लिए अपील लंबित है। दोनों अपीलों को एक साथ मिलाकर एक ही निर्णय द्वारा निस्तारित किया जा रहा है।

4. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला इस प्रकार है:-

(i) राम बाबू (सूचनादाता-पी.डब्ल्यू.-1) की बहन श्रीमती विमलेश का विवाह घटना से एक वर्ष के भीतर आरोपी नरेश कुमार से हुआ था। विवाह के समय, नरेश कुमार ने दहेज के रूप में एक स्कूटर की मांग की, जिसे मृतका (विमलेश) के माता-पिता पूरा नहीं कर सके। घटना से तीन महीने पहले, यानी 10.11.1986 से, श्रीमती विमलेश अपने ससुराल में रह रही थीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) दिनांक 08.11.1986 को राम प्रकाश मृतका से मिलने गए, तब नरेश कुमार ने स्कूटर की अपनी मांग दोहराई और राम प्रकाश को विमलेश से अकेले में बात करने की अनुमति भी नहीं दी।

(iii) दिनांक 09.11.1986 को मृतका ने राम प्रकाश से कहा कि वह जल्द से जल्द एक स्कूटर का इंतजाम कर दे अन्यथा उसकी जान को खतरा होगा। राम प्रकाश ने उसे आश्वासन देकर यह कहकर वापस लौट गया कि वह इस संबंध में उसके पिता से बात करेगा।

(iv) दिनांक 10.11.1986 को सत्य प्रकाश, भगवान सिंह, केशव देव और घनश्याम के साथ दिनेश (आरोपी) की शादी के लिए बात करने गया था। जब वह उसकी बहन के घर पहुँचा, तो घर के अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं और उसने देखा कि नरेश कुमार के हाथ में माचिस की तीली थी और छतर सिंह, नानक चंद और दिनेश कुमार के हाथों में बर्तन और गिलास थे। यह देखकर सत्य प्रकाश ने शोर मचाया जिससे पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित हुआ। नरेश कुमार और अन्य आरोपियों ने मृतका विमलेश पर केरोसिन तेल छिड़ककर आग लगा दी।

इसके बाद, 11.11.1986 को सत्य प्रकाश अपने गाँव लौट आया और उसने राम बाबू और उसके परिवार को पूरी घटना सुनाई।

(v) इसके बाद उसी दिन राम बाबू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और फिर 13.11.1986 को राम बाबू ने मथुरा के पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी। इस शिकायत पर मथुरा के पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 16.11.1986 को एक पृष्ठांकन किया और उसके बाद उनके निर्देश पर 16.11.1986 को सदर बाजार पुलिस स्टेशन में धारा 498-ए, 302/120-बी भा.दं.सं. के तहत नरेश उर्फ मुन्ना (पति), विमलेश (सास), छतर सिंह (जेठ) और नानक चंद (जेठ) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

(vi) श्रीमती विमलेश (मृतका) को जलने की चोटें लगने के बाद, उन्हें नानक चंद (मृतका के जेठ) द्वारा रात 10:15 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

5. डॉ. एम.के. गुप्ता (पी.डब्ल्यू.-4) ने दिनांक 10.11.1986 को श्रीमती विमलेश की जांच की और अस्पताल में उनके भर्ती होने की सूचना पुलिस को भेजी, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल अधिकारियों ने श्रीमती विमलेश की मृत्यु की सूचना कोतवाली पुलिस को दी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. शव की जांच रिपोर्ट (प्रदर्श-क-4) सब इंस्पेक्टर श्री अजय सिंह द्वारा 10.11.1986 को रात 12:30 बजे की गई थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था जो 10.11.1986 को शाम 4:00 बजे डॉ. पी.पी. पाठक (पीडब्ल्यू-3) द्वारा किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श-क-2) के अनुसार, मृत्यु का कारण जलने की चोटों के कारण सदमा था।

7. मामले की जांच भगगन सिंह (पीडब्ल्यू-6) द्वारा की गई थी और जांच के बाद, जांच अधिकारी ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया जो प्रदर्श-क-17 है।

8. संज्ञान लेने के बाद, मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120बी और 498-ए के तहत आरोप तय किए गए। सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की।

9. बचाव पक्ष की दलील यह है कि यह आत्महत्या का मामला था, हत्या का नहीं, और श्रीमती विमलेश स्वयं मृत्यु के लिए जिम्मेदार थीं।

10. मुकदमे की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष के आठ गवाहों और अदालत के एक गवाह से पूछताछ की गई। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में सामने आए अपराधबोधकारी परिस्थितियों को अपीलकर्ताओं के समक्ष धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत उनका बयान दर्ज करते समय प्रस्तुत किया गया था। अपीलकर्ताओं ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में सामने आए उन सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों से इनकार किया और दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने 5 गवाहों से पूछताछ की है। बचाव पक्ष का कहना है कि यह आत्महत्या का मामला है, हत्या का नहीं। अभियुक्त नरेश कुमार घटना की तारीख यानी 10.11.1986 को घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था और वह मिर्जापुर जिले में था।

11. उक्त निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है, अतः ये अपीलें दायर की गई हैं।

12. अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमल कृष्ण के सहायक विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार उपस्थित हुए, जिन्होंने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये:-

(i) कथित घटना दिनांक 10.11.1986 की है जो लगभग सुबह 6-6:30 बजे घटी थी और एफआईआर 16.11.1986 को लगभग रात 9:45 बजे दर्ज की गई थी। उन्होंने आगे कहा है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

घटना की सूचना प्रथम सूचनादाता को घटना वाले दिन ही दे दी गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष को ज्ञात कारणों से, घटना के संबंध में आवेदन कथित तौर पर 13.11.1986 को ही पुलिस स्टेशन में दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप एफआईआर दर्ज करने में अस्पष्ट विलंब हुआ।

(ii) एफआईआर दर्ज करने में विलंब अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सत्यप्रकाश (पीडब्ल्यू-2) और भगवान सिंह (पीडब्ल्यू-4) बासदेव की बेटी का विवाह दिनेश कुमार (अपीलकर्ता नरेश कुमार के भाई) से तय करने के लिए गए थे। एफआईआर में बासदेव का नाम नहीं है। एफआईआर में यह भी उल्लेख नहीं है कि वह कथित तौर पर उस घर में रुका था। एफआईआर में इन कमियों से अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा होता है।

(iii) प्रदर्श-ख-13 और प्रदर्श-ख-14 यानी क्रमशः 03.08.1986 और 28.8.1986 के पत्र कथित घटना से पहले मृतका श्रीमती विमलेश के सगे भाई सत्यप्रकाश (पीडब्ल्यू-1) द्वारा लिखे गए थे और उन्होंने स्वीकार किया कि नरेश कुमार और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं थी। इन पत्रों के मद्देनजर, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता द्वारा दहेज के रूप में स्कूटर की मांग करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी संदिग्ध हो जाती है।

(iv) अपीलकर्ता नरेश कुमार घटना के समय मथुरा में उपस्थित नहीं था और वह मिर्जापुर/सोनभद्र जिले में उपस्थित था।

(v) मृतका द्वारा आत्महत्या करने के बाद, उसे अपीलकर्ता नरेश कुमार के भाई नानक चंद द्वारा मथुरा के जिला अस्पताल ले जाया गया।

(vi) अभियोजन पक्ष के गवाह की उपस्थिति संदिग्ध है। सत्य प्रकाश (पीडब्ल्यू-2) और भगवान सिंह (पीडब्ल्यू-4) ने घटना स्थल चौमुहा गांव में अपनी उपस्थिति यह कहते हुए स्थापित करने का प्रयास किया कि वे वहां बसदेव (पीडब्ल्यू-5) की बेटी का विवाह अपीलकर्ता नरेश कुमार के भाई दिनेश कुमार से तय करने के लिए गए थे। यह बात विश्वास से परे है कि यदि गवाहों को नरेश कुमार और उसके परिवार द्वारा दहेज के रूप में स्कूटर की मांग की जानकारी थी और श्रीमती विमलेश को इस मांग के पूरा न होने के कारण परेशान किया जा रहा था, तो भी वे बसदेव (पीडब्ल्यू-5) की बेटी, जो भगवान सिंह (पीडब्ल्यू-4) की भतीजी है, का विवाह नरेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कुमार के भाई दिनेश कुमार से तय करने के लिए गए। अभियोजन पक्ष के इस पहलू से घटना के समय गवाह की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध हो जाती है।

(vi) सतीश चंद्र के कहने पर स्थल योजना तैयार की गई थी, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी जांच नहीं की गई, जो अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए अत्यंत अनुचित है।

(vii) प्रत्यक्षदर्शी और चिकित्सा साक्ष्यों में असंगतताएँ, चूक, विरोधाभास और परस्पर विरोधी तथ्य मौजूद हैं।

(viii) अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अपील स्वीकार की जानी चाहिए।

13. दूसरी ओर, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान एजीए प्रथम श्री सुशील कुमार पांडे ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया है:-

(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी-अपीलकर्ताओं के नाम दर्ज थे।

(ii) सत्य प्रकाश (पीडब्ल्यू-2) और भगवान सिंह (पीडब्ल्यू-4) के साक्ष्य से यह संदेह से परे सिद्ध होता है कि नरेश कुमार (अपीलकर्ता) श्रीमती विमलेश की हत्या करने का दोषी और जिम्मेदार था, उसने उनके शरीर पर केरोसिन तेल छिड़का था और उसका अलीबी का दावा झूठा है।

(iii) अभिलेख पर मौजूद चिकित्सा साक्ष्य एफआईआर में उल्लिखित अभियोजन पक्ष की कहानी और अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए पत्रों की पुष्टि करते हैं।

(iv) अभियोजन पक्ष ने इस मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। इस अपील में कोई मेरिट नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

14. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद, दोनों पक्षों के गवाहों की गवाही पर पहले ध्यान देना उचित होगा।

15. राम बाबू (पी.डब्ल्यू.-1) इस मामले के सूचनादाता और मृतका श्रीमती विमलेश का भाई है। उन्होंने बताया कि विमलेश और नरेश कुमार का विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हुआ था। विवाह के बाद से ही श्रीमती विमलेश के ससुराल वाले स्कूटर की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका छोटा भाई सत्य प्रकाश (पी.डब्ल्यू.-2) अपनी बहन विमलेश से मिलने गया और उसके ससुराल में रुका। विमलेश के ससुराल वालों ने स्कूटर की मांग की। विमलेश ने उन्हें जल्द से जल्द स्कूटर का इंतजाम करने को कहा, अन्यथा उनकी जान को खतरा हो सकता है। विमलेश को समझाने-बुझाने के बाद उनका भाई वापस आ गया।

दिनांक 10.11.1986 की देर रात सत्य प्रकाश (पी.डब्ल्यू.-2) ने आकर रामबाबू को बताया कि विमलेश को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला है। अगले दिन रामबाबू (पी.डब्ल्यू.-1) सत्य प्रकाश और कुछ अन्य लोगों के साथ अपनी बहन के ससुराल गए। जब उनकी बहन के ससुराल वालों ने उन्हें देखा, तो वे घर से भाग गए। उन्होंने ग्रामीणों से पूछताछ करके इस घटना की एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई।

दिनांक 13.11.1986 को रामबाबू (पी.डब्ल्यू.-1) ने मथुरा के पुलिस अधीक्षक को घटनाओं के बारे में सूचित करते हुए और एफआईआर दर्ज करने के लिए एक आवेदन दिया था। इस आवेदन पर मथुरा के पुलिस अधीक्षक ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। एफआईआर 16.11.1986 को दर्ज की गई थी। यह रिपोर्ट उनके द्वारा लिखी और हस्ताक्षरित की गई थी, जो कि प्रदर्शक-क-1 है।

राम बाबू (पी.डब्ल्यू.-1) ने जिरह के दौरान बताया कि नरेश कुमार वी.एस.ए. फैक्ट्री में सेल्समैन है। उसने कहा कि वह सेल्समैन का काम जानता है और सेल्समैन का कार्य पूरे देश से ऑर्डर लाना होता है। उसने यह भी बताया कि उसने अपनी बहन की शादी के समय अपनी इच्छा से उसे सामान दिया था। उसने बयान दिया कि उसे याद नहीं है कि उसने अपनी बहन को शादी के समय क्या-क्या सामान दिया था, लेकिन उसने बताया कि उसके ससुराल वालों ने स्कूटर की मांग की थी। उसने अपनी शिकायत में स्कूटर की मांग का जिक्र किया है, लेकिन पुलिस को दी गई रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया, जिसके कारण पुलिस को ही पता है। उसने आगे बयान दिया कि वह यह नहीं बता सकता कि उसने तीन दिनों के भीतर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई।

16. सत्य प्रकाश (पीडब्ल्यू-2) घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। अपने मुख्य बयान में उसने कहा कि 9.11.1986 को देर रात होने के कारण वह और भगवान सिंह अपने फूफा केशव देव के घर पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रुके थे। सुबह 6-6:30 बजे, वह और भगवान सिंह केशव देव और घनश्याम दुलारी के घर उनके बेटे दिनेश सिंह को देखने पहुंचे और उन्होंने घर से चिल्लाने की आवाज सुनी और खिड़की से देखा कि नरेश कुमार के हाथ में माचिस की डिब्बी थी और चितर, नानक चंद और दिनेश और उसकी मां के हाथों में डिब्बा और गिलास था। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वे विमलेश को धमका रहे थे। उन्हें देखकर उन्होंने उन्हें धमकाया और उनका पीछा किया और उन्हें अपने घर से भागने पर मजबूर कर दिया। जब वह अपने गांव लौटा तो उसने यह घटना राम बाबू और उसके परिवार के सदस्यों को बताई। उसने बताया कि घटना खिड़की से दिखाई दे रही थी, दरवाजे से नहीं। दरवाजा अंदर से बंद था। जब वे पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। उसने घटना खिड़की से देखी। उसने बताया कि वह पहली बार घटना का वर्णन कर रहा है। उसकी बहन के ससुराल वालों ने उसे अस्पताल नहीं ले गए और न ही पुलिस को सूचना दी।

17. पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. पी.पी. पाठक (पी.डब्ल्यू.-3) ने प्रमाणित किया कि मृतका विमलेश के शरीर पर निम्नलिखित पूर्व-मृत्यु चोटें पाई गईं:-

पूर्व-मृत्यु चोटें:-

सिर की त्वचा पर सतही जलन, चेहरे, भौंहों, गर्दन, छाती, पीठ और पेट के ऊपरी और निचले हिस्से के बाल जले हुए हैं, दोनों पैरों को छोड़कर जननांग भी प्रभावित हैं; पेट के बाईं ओर, ऊपरी और मध्य भाग में, और बाएं पैर के बीच में गहरी जलन है। कुछ स्थानों पर काली-काली त्वचा दिखाई दे रही है।

18. भगवान सिंह (पी.डब्ल्यू.-4) भी घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने सत्य प्रकाश (पी.डब्ल्यू.-2) के बयान की पुष्टि की।

19. हेड कांस्टेबल रक्षपाल सिंह (पीडब्ल्यू-5) ने बताया कि उन्हें एफआईआर का कागज़ कांस्टेबल नेमीचंद के माध्यम से मिला और उन्होंने उसे जीडी (प्रदर्श-क-13) के माध्यम से चौकी को भेज दिया। उन्होंने जीडी (प्रदर्श-क-11 और 12) को प्रमाणित भी किया।

20. भगवान सिंह (पीडब्ल्यू-6), क्षेत्राधिकारी, सदर, इस मामले के जांच अधिकारी हैं। उन्होंने धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत चश्मदीनों के बयान दर्ज किए हैं और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हैं (जो प्रदर्श-क-16 है)। उन्होंने सबूत भी एकत्र किए हैं और आरोपपत्र प्रस्तुत किया है (जो प्रदर्श-क-17 है)।

21. डॉ. एम.के. गुप्ता (पी.डब्ल्यू.-7), मथुरा जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी हैं। उन्होंने मृतका विमलेश की चोट रिपोर्ट (यानी प्रदर्श-क-18) को प्रमाणित किया। उन्होंने 10.11.1986 को विमलेश की जांच की और उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

चोटें

चेहरे, सिर, दोनों हाथों, गर्दन, छाती और पेट के दोनों तरफ, दोनों जांघों, नितंबों और दोनों पैरों पर सतही से लेकर गहरे जलने के निशान हैं। पूरे शरीर से केरोसिन तेल की गंध आ रही है। सिर के बाल जल गए हैं और उनसे केरोसिन तेल निकल रहा है। मरीज को भर्ती कराया गया है। मृत्यु पूर्व सूचना भेजी गई है, नाड़ी महसूस नहीं हो रही है। रक्तचाप सामान्य नहीं है। मरीज बहुत नाजुक है। कुछ जगहों पर त्वचा छिल गई है। घाव अभी हाल ही में लगे हैं।

22. राम दास (पीडब्ल्यू-8), पुलिस स्टेशन सदर बाजार, जिला मथुरा में हेड कांस्टेबल, जिसने एफआईआर (प्रदर्श-क-14) और जीडी (प्रदर्श-क-19) तैयार की और जीडी (प्रदर्श-क-20) के माध्यम से वृंदाबन पुलिस स्टेशन को कागजात भेजे।

23. राम प्रकाश वर्मा (सीडब्ल्यू-1) ने नरेश कुमार द्वारा दहेज की मांग के बारे में बताया, लेकिन अपनी जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि प्रदर्श-ख-13 और 14, दिनांक 03.08.1986 और 28.08.1986 के पत्र उनके द्वारा लिखे गए थे, जिसमें कहा गया था कि नरेश कुमार और उनके परिवार की ओर से दहेज की कोई मांग नहीं है।

24. एस.एन. सहगल (पी.डब्ल्यू.-1), वी.एस. एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, नवलगंज, आगरा के बिक्री प्रबंधक ने बताया है कि वे आरोपी नरेश कुमार को जानते हैं। वह हमारी कंपनी में बिक्री प्रतिनिधि-सह-बिक्री अधिकारी थे। नरेश कुमार को 01.11.1986 से 13.11.1986 तक का टूर प्रोग्राम दिया गया था। उन्होंने इस प्रोग्राम की मूल प्रति प्रस्तुत की है। इस पर साझेदार सरदार बलदेव सिंह के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें उन्होंने पहचान लिया है और जिन्हें उन्होंने पढ़ते-लिखते देखा है। वे इसकी एक प्रति प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे प्रदर्श-ख-1 के रूप में चिह्नित किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

25. दिनांक 8 नवंबर 1986 को, आरोपी नरेश कुमार ने वैशाली ट्रांसपोर्ट कंपनी, रॉबर्टसगंज, मिर्जापुर/सोनभद्र से 500 रुपये एकत्र किए। कंपनी को प्राप्त पत्र अभिलेख में है। इस पर वैशाली ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओर से के.सी. श्रीवास्तव और आरोपी नरेश कुमार के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने के.सी. श्रीवास्तव और आरोपी नरेश कुमार के हस्ताक्षर पहचान लिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने उन्हें लिखते हुए देखा था। वे इसकी प्रति दाखिल कर रहे हैं, जिसे प्रदर्श-ख-2 के रूप में चिह्नित किया गया है।

26. आर.के. गुप्ता (डी.डब्ल्यू.-2), प्रशिक्षक सर्वेक्षण, आईटीआई, बलेकेश्वर, आगरा ने आरोपी दिनेश कुमार की उपस्थिति में अलीबी साबित की है। उन्होंने बताया कि 10.11.1098 को शाम 6-6:30 से 2:00 बजे तक आरोपी आईटीआई स्कूल में मौजूद था।

27. सोवरन सिंह (डी.डब्ल्यू.-3), ग्राम पंचायत अधिकारी, ने परिवार रजिस्टर को प्रमाणित किया, जो कि प्रदर्श-ख-7 है, जिससे पता चलता है कि रामजी लाल और रामबाबू परिवार के मुखिया थे।

28. डॉ. बी.डी. पाठक (डी.डब्ल्यू.-4), चिकित्सा अधिकारी/इंचार्ज पीएचसी, छाओवा, जिला मथुरा ने बताया है कि नरेश कुमार को पेट की कुछ समस्या थी और वह इसके लिए दवा ले रहा था।

29. बासदेव (पी.डब्ल्यू.-5) ने कहा है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के संबंध में आरोपी दिनेश कुमार से बातचीत करने के लिए सत्य प्रकाश (पी.डब्ल्यू.-2) और भगवान सिंह (पी.डब्ल्यू.-4) को कभी नहीं भेजा था।

30. साक्ष्यों की गहन जांच से यह स्पष्ट होता है कि घटना 10.11.1986 की है, लेकिन एफआईआर 16.11.1986 को दर्ज की गई थी। घटना के संबंध में आवेदन 13.11.1986 को दिया गया था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि एफआईआर दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई।

31. राम बाबू (पीडब्ल्यू-1), सूचनादाता ने एफआईआर दर्ज करने में देरी के बारे में स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया और बताया कि 10.11.1986 को देर रात सत्य प्रकाश (पीडब्ल्यू-2) उनके पास आया और बताया कि विमलेश को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला था। राम बाबू (पी.डब्ल्यू.-1) ने बताया कि वह अपनी साली के घर गए और एफआईआर दर्ज कराने की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कोशिश की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्होंने 13.11.1985 को मथुरा के पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक आवेदन दिया और मथुरा के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 16.11.1986 को एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है।

32. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत दर्ज एफआईआर को स्वयं में ठोस साक्ष्य नहीं माना जा सकता। इसका उपयोग केवल न्यायालय में सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि या खंडन के लिए किया जा सकता है। लेकिन एफआईआर दर्ज करने में अनुचित या अनावश्यक देरी से संदेह उत्पन्न हो सकता है। हालांकि, एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।

33. सर्वोच्च न्यायालय ने मनोज कुमार शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2016 (9) एससीसी के मामले में अपने पैराग्राफ 18 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

18) एफआईआर दर्ज कराने में देरी अक्सर घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का कारण बनती है, जो कि बाद में सोची-समझी साजिश का नतीजा होता है। देरी के कारण, एफआईआर न केवल सहजता के लाभ से वंचित हो जाती है, बल्कि इसमें मनगढ़ंत या अतिरंजित कहानी जोड़े जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। हमारी राय में, एफआईआर दर्ज करने में इतनी असाधारण देरी होने से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है, जो कि वैसे भी सामान्य प्रकृति के हैं। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार के गलत और संदिग्ध आरोप लगाकर प्रतिवादी संख्या 2 ने अपीलकर्ताओं को आपराधिक कार्यवाही में फंसाने का प्रयास किया है। हमारा यह दृढ़ मत है कि इस एफआईआर के आधार पर अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही जारी रखना विधि का दुरुपयोग है। अतः न्याय के हित में एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, इस न्यायालय के जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य (2012) 4 एससीसी 379 मामले में दिए गए निम्नलिखित निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें यह कहा गया था कि:-

“12. आपराधिक मामले में एफआईआर एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान साक्ष्य है, भले ही वह निर्णायक साक्ष्य न हो। अपराध घटित होने पर एफआईआर को शीघ्र दर्ज कराने का उद्देश्य अपराध की परिस्थितियों, वास्तविक अपराधियों के नाम और उनकी भूमिका के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

साथ-साथ घटना स्थल पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों के नाम के बारे में शीघ्र जानकारी प्राप्त करना है। एफआईआर दर्ज करने में देरी होने पर उसकी सहजता समाप्त हो जाती है, और अनेक परामर्शों/विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की, अतिरंजित या मनगढ़ंत कहानी सामने आने का खतरा बढ़ जाता है। निस्संदेह, एफआईआर को शीघ्रता से दर्ज करना सूचनादाता के बयान की सत्यता की गारंटी है। शीघ्रता से दर्ज की गई एफआईआर में घटना का प्रत्यक्ष विवरण और संबंधित अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का विवरण होता है।”

34. एफआईआर में कुछ तथ्यों के छूट जाने के संबंध में, यह सर्वविदित कानून है कि एफआईआर कोई विश्वकोश नहीं है जो अपराध से संबंधित संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करती हो। इसका उद्देश्य जटिल और सूक्ष्म विवरणों का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत करना नहीं है। एफआईआर को ठोस सबूत नहीं माना जाता है और इसका उपयोग केवल न्यायालय में सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है।

35. जहां तक दहेज की मांग का सवाल है, मृतका विमलेश के सगे भाई सत्य प्रकाश (पी.डब्ल्यू.-1) ने स्वयं स्वीकार किया है कि नरेश कुमार और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। मृतका की हत्या के कथित मकसद को, जो दहेज के रूप में स्कूटर की मांग को लेकर किया गया था, अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका। इस संबंध में, किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक यातना का कोई आरोप या सबूत नहीं है।

36. जहां तक घटना स्थल पर अपीलकर्ता नरेश कुमार की उपस्थिति का सवाल है, एस.एन. सहगल (डी.डब्ल्यू.-1) ने कहा है कि घटना के समय अपीलकर्ता नरेश कुमार ड्यूटी पर थे और वे रॉबर्टसगंज/सोनभद्र/मिर्जापुर जिले में थे। अतः अपीलकर्ता नरेश कुमार की अलबी (घटनास्थल पर कहीं और होने का दावा) सिद्ध हो जाती है और घटना के समय तथा घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति संदिग्ध है।

37. सत्य प्रकाश (पीडब्ल्यू-2) और भगवान सिंह (पीडब्ल्यू-4) की उपस्थिति के संबंध में, वे संयोगवश उपस्थित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वे बासदेव (डीडब्ल्यू-5) की बेटी का विवाह आरोपी दिनेश कुमार से तय करने के लिए घटना स्थल पर गए थे, लेकिन डीडब्ल्यू-5 ने कहा है कि उन्होंने सत्य प्रकाश (पीडब्ल्यू-2) और भगवान सिंह (पीडब्ल्यू-4) को अपनी बेटी के विवाह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के लिए कभी नहीं भेजा था। यदि गवाहों को मृतका के ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग और उत्पीड़न की जानकारी थी, तो फिर वे बसदेव (डीडब्ल्यू-5) की बेटी के विवाह के लिए वहां क्यों गए, यह स्पष्ट नहीं है।

38. अभियोजन पक्ष का विशिष्ट मामला यह है कि घटना घर में घटी थी, लेकिन जिरह में सत्य प्रकाश (पीडब्ल्यू-2) ने कहा है कि दरवाजा अंदर से बंद था और जब वह और भगवान सिंह (पीडब्ल्यू-4) वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। नक्शा नजरी (प्रदर्श-क-16) के साथ-साथ सूची संख्या 3 में उल्लेख है कि "दरवाजा अंदर से बंद था और उन्होंने दरवाजे की हिंज पिन हटाकर कमरे में प्रवेश किया, जो इंगित करता है कि मृतका ने खुद आत्महत्या की थी और यह हत्या नहीं थी।

39. ऊपर वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः, आरोपी-अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, आपराधिक अपील संख्या 1823/1987 (छतर सिंह और 3 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) और संबंधित आपराधिक अपील संख्या 1866/1987 (नरेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) अपीलकर्ताओं छतर सिंह और नरेश कुमार के संबंध में स्वीकार किए जाने योग्य हैं और तदनुसार इन्हें स्वीकार किया जाता है। विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता छतर सिंह और नरेश कुमार को उन सभी आरोपों से बरी किया जाता है जिनके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था।

40. अपीलकर्ता जेल में हैं। उनके जमानत बन्ध पत्र रद्द किये जाते हैं और जमानतदारों को उन्मोचित किया जाता है।

41. निर्णय और आदेश की प्रमाणित प्रति, विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड सहित, अनुपालन हेतु संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

22 जनवरी 2026

एस.के.एस.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।